

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 257]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 मई, 2011—वैशाख 20, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मई, 2011

क्र. ए-3-25-2010-1-पांच-(47).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.ए-3-25-2010-1-पांच (96), दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, उपाबंध-दो में, पैरा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“6. इस अधिसूचना के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से छूट के लिए ऐसे व्यापारियों द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने के लिए दो समितियां होंगी, अर्थात्:—

(क) जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन साधिकार समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी:—

- | | | | |
|-------|--|----|-------------|
| (एक) | जिले का कलक्टर | .. | चेयर पर्सन |
| (दो) | संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर या उसका नाम-निर्देशिती, जो वाणिज्यिक कर अधिकारी की पदश्रेणी से नीचे का न हो | .. | सदस्य |
| (तीन) | प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम या उसका नाम-निर्देशिती | .. | सदस्य |
| (चार) | महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र | .. | सदस्य-सचिव. |

(ख) राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन साधिकार समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी:—

- | | | | |
|-------|---|----|------------|
| (एक) | भारसाधक मंत्री, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग | .. | चेयर पर्सन |
| (दो) | भारसाधक मंत्री, वाणिज्यिक कर विभाग | .. | सदस्य |
| (तीन) | प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग | .. | सदस्य |

(चार)	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	..	सदस्य
(पांच)	प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग	..	सदस्य
(छह)	आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश	..	सदस्य
(सात)	उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश	..	सदस्य-सचिव."'

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मई, 2011

क्र. एफ-ए-3-25-2010-1-पांच-(47).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-25-2010-1-पांच-(47), दिनांक 10 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 10th May 2011

No. A-3-25-2010-1-V-(47).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's notification No. FA-3-25-2010-1-V (96) dated 13th December, 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in Annexure-II, for para 6, the following para shall be substituted, namely:—

“6. There shall be two committees for considering the application made by such dealers for exemption from payment of entry tax under this notification, namely:—

(a) District Level Investment Promotion Empowered Committee shall consist of the following persons:—

(i)	Collector of the District	..	Chairperson
(ii)	Divisional Deputy Commissioner of Commercial Tax or his nominee, not below the rank of a Commercial Tax Officer.	..	Member
(iii)	Managing Director of the Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam or his nominee.	..	Member
(iv)	General Manager, District Trade and Industries Centre	..	Member Secretary.

(b) State Level Investment Promotion Empowered Committee, shall consist of the following persons:—

(i)	Minister in-charge, Commerce, Industry and Employment Department.	..	Chairperson
(ii)	Minister in-charge, Commercial Taxes Department	..	Member
(iii)	Principal Secretary/Secretary Commercial Taxes Department	..	Member
(iv)	Principal Secretary/Secretary, Finance Department	..	Member
(v)	Principal Secretary/Secretary, Commerce, Industry and Employment Department.	..	Member
(vi)	Commissioner, Commercial Tax, Madhya Pradesh	..	Member
(vii)	Industries Commissioner, Madhya Pradesh	..	Member Secretary".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.